

3/1/2009
 12/11/2009
 16/3/10
 19/4/10
 24/5/10
 28/6/10

TAC

Form NO III

फर्द अहकाम
 (नियम 20)

अज अदालत- सहायक कलेक्टर,
 भीनमाल

मुकाम -- भीनमाल

वादी- ~~महेशचन्द माधवानी~~
 कैमली सा भीनमाल
 किस्म मुकदमा
 धारा- 88, 188 R.T. Act

बनाम प्रतिवादीगण-
 1. खुवाडुन पीयाजी कुशीईत
 नं० सन सा २४० खानपुर
 31/09 2. तहमीलदा र भीनमाल

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकामजो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3/11/2009	वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक दावा धारा 88, 188 R.T. Act के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। अतः दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 3/11/09 को पेश हो।	
31/12/2009	<p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर सहायक कलेक्टर</p> <p>वादी कैमली सा भीनमाल द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक दावा धारा 88, 188 R.T. Act के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। अतः दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 3/11/09 को पेश हो।</p>	
12/1/10	वादी कैमली सा भीनमाल द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक दावा धारा 88, 188 R.T. Act के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। अतः दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 3/11/09 को पेश हो।	
9/3/10	वादी कैमली सा भीनमाल द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक दावा धारा 88, 188 R.T. Act के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। अतः दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 3/11/09 को पेश हो।	
16/3/10	<p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर सहायक कलेक्टर</p> <p>वादी कैमली सा भीनमाल द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक दावा धारा 88, 188 R.T. Act के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। अतः दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 3/11/09 को पेश हो।</p>	

महकाराम बनाव खुबाराय
 किस्म मुकदमा वाद प्रकरण संख्या 94/2009

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9 ¹⁰ / ₁₉	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वाहीमय अधिवक्ता वर हजिर। वाहीमय, वाही अधिवक्ता से तीन कार अलग- अलग आवाज लगाई गई। मगर हजिर नहीं हुए। अतः वादी का वाद अदम हाजरी एवं अदम चैरवी में खरिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर, भीनमाल</p>	